न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

Criminal Misc. Case No.- 50 / 2026

ज्योतिष कुमार मंडल..... आवेदक
बनाम
राज्य सरकार

उपस्थितिः–आवेदक :– श्री शंभू शरण चौधरी, विद्वान अधिवक्ता।
वास्ते अभियोजन :–श्री राजानंद पासवान, विद्वान अपर लोक अभियोजक।

08-06-2026 प्रस्तुत क्रिमिनल मिसलेनियस आवेदन, आवेदक ज्योतिष कुमार मंडल, पिता–छेदी मंडल उर्फ छेदी चौरसिया की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 300/2025 में पारित आदेश 11.06.2025 में, आदेश पारित होने के 02 (दो) सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करके बंध पत्र दाखिल करने का आदेश दिया गया था परंतु तय अवधि के भीतर बंध पत्र दाखिल न करने के कारण, समय सीमा को बढ़ाने के लिये दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना करते है कि उक्त अग्रिम जमानत आवेदन में आदेश पारित होने के बाद बंध पत्र दाखिल नहीं कर सका था, क्योंकि आवेदक मजदूरी करने बाहर चला गया था, इसलिये तय समय–सीमा पर बंधपत्र दाखिल नहीं कर सका था। अतः आवेदक को निम्न न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने एवं बंध पत्र दाखिल करने हेतु समय दिया जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन सं0–300/2025 दिनांक 11.06.2025 को ही स्वीकृत किया गया था एवं दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करके बंध पत्र दाखिल करने की बात कही गयी परंतु उक्त समय–सीमा में आत्मसमर्पण करके बंधपत्र नहीं दाखिल किया गया और आज अतिरिक्त समय की मांग कर रहे है। अतः आवेदक को अतिरिक्त समय इस आर्थिक दंड के साथ दी जाती है कि वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अररिया में **पॉच सौ रूपये** जमा करने के पश्चात ही बंध पत्र दाखिल कर सकेंगे।

अतः उपरोक्त शर्तों के आधार पर आवेदक का उक्त क्रिमिनल मिसलेनियस इस निर्देश के साथ **स्वीकृत** किया जाता है कि आवेदक आदेश पारित होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करके बंध पत्र दाखिल करे एवं अग्रिम जमानत की पूर्व शर्तों को यथावत् रखते हुये वाद निष्पादित किया जाता है।

(लेखापित)
Sd/-

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।